

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबंधक,

एम०जी०कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर-जी-कानपुर रोड, लखनऊ।

पत्रांक/आशुलि०/3954/2002-2003, दिनांक: 19-8-2002

विषय: अशासकीय प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) मान्यता।

महोदय,

शासनादेश संख्या ६४६/१५-६-६७-१८ एस (७)/८६, दिनांक १३ अगस्त १९६७ में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत 'मण्डलीय मान्यता समिति' के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा १ से ५ तक मान्यता वर्तमान शिक्षा सत्र से प्रदान की जाती है। साथ ही प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षण / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे-

१-	प्रधानाध्यापक	एक पद।
२-	सहायक अध्यापक	सात पद।
३-	द्विपिक	एक पद।
४-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दो पद।

समस्त शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खाते में अन्तरण के द्वारा किया जाएगा।

विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निधि के योजना लागू की जानी चाहिए।

शासकीय एवं विभागीय आदेशों का पालन न करने की दशा में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

सदस्य सचिव

मान्यता समिति, लखनऊ

एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

पृ०सं०/आशुलि०/

/2002-2003, दिनांक: वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- १- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- २- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
- ३- संयुक्त शि०नि०/मण्डलीय सहायक शि०नि० (बेसिक) लखनऊ।
- ४- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक अधिकारी।
- ५- जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, लखनऊ।
- ६- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी लखनऊ।
- ७- लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ

सदस्य सचिव

मण्डलीय मान्यता समिति, लखनऊ

एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

PRINCIPAL

M. G. CONVENT SCHOOL
Sec-G, LDA Colony, Kanpur
Lucknow

Manager
M. G. CONVENT SCHOOL
Sec-G, LDA Colony, Kanpur Road
Lucknow

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबंधक,

एम.जी.कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर -जी-कानपुर रोड, लखनऊ।

पत्रांक/आशुलि०/५५२६ /२००३-२००४, दिनांक: २१-१०-२००३

विषय: अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा ६ से ८ तक) अस्थायी मान्यता।

महोदय,

शासनादेश संख्या: ६४६/१५-६-६७-१८ एस (७)/८६, दिनांक १३ अगस्त १९६७ में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत "मण्डलीय मान्यता समिति" के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा ६ से ८ तक अस्थायी मान्यता वर्तमान शिक्षा सत्र से प्रदान की जाती है। साथ ही प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे-

१-	प्रधानाध्यापक	एक पद।
२-	सहायक अध्यापक	चार पद।
३-	लिपिक	एक पद।
४-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद।

सहायक अध्यापकों की चार संख्या में एक अध्यापक विज्ञान तथा एक भाषा का होगा। समस्त शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जाएगा।

विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निधि के योजना लागू की जानी चाहिए। उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जाएंगे।

शासकीय एवं विभागीय आदेशों का पालन न करने की दशा में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

सदस्य सचिव

मण्डलीय मान्यता समिति, लखनऊ
एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

पृ०सं०/आशुलि०/ /२००३-२००४, दिनांक: वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- १- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- २- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
- ३- संयुक्त शि०नि०/मण्डलीय सहायक शि०नि० (बेसिक) लखनऊ
- ४- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक अधिकारी।
- ५- जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, लखनऊ।
- ६- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
- ७- लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

सदस्य सचिव

मण्डलीय मान्यता समिति, लखनऊ
एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

Principal
M. G. CONVENT SCHOOL
LDA Colony, Kanpur Road,
Lucknow

Principal
M. G. CONVENT SCHOOL
LDA Colony, Kanpur Road,
Lucknow